न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्या: 360/2018 (जीसीएमएस नं. 2018/00146)

1. कश्मीर उम्र 58 वर्ष, पुत्र श्री डीगराम, जाति जाट, निवासी सरदारपुरा, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

---अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
2. विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह, जाति राजपूत, निवासी न्यांगली, तहसील रामगढ, जिला चुरू,राजस्थान।

-- रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक: 20.10.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष जरिये अनरजिस्टर्ड वसीयत अपने रिश्तेदार ठा. रावल मदन सिंह राजपूत द्वारा की गई वसीयत की बिनाह पर वसीयत में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 122 रकबा 4.99 हैक्टयर, खसरा नम्बर 208/123 रकबा 0.05 हैक्टयर कुल रकबा 5.04 हैक्टयर का नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के तहत दर्ज किया जाकर उपरोक्त आराजी का नामान्तरकरण वसीयत दिनांक 15.06.1996 के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम से दर्ज किये जाने का आदेश हल्का पटवारी सूजडोला के नाम से जारी करते हुए उक्त प्रकरण का निर्णय दिनांक 06.03.2018 को कर दिया जिसकी बिनाह पर नामन्तरकरण संख्या 454 दिनांक 15.03.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक मे दर्ज कर दिया गया है। उक्त आदेश व निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के खिलाफ होने के कारण कतई गलत व खिलाफ कानून है क्योंकि उक्त आदेश जाब्ता दीवानी के प्रावधानों को विधिवत अनुसरण न करते हुए पारित किया गया है जो कि कानूनन अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह मजिद तौर पर उल्लेखित किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा एक अनरजिस्टर्ड वसीयत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई यह अमूर काबिले जिक्र है किसी भी अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर सक्षम न्यायालय से प्रोबेट प्राप्त करने के पश्चात् ही सम्पत्ति का हस्तानतरण किया जा सकता है जबकि प्रकरण हाजा मे प्रोबेट के अभाव में ही उपरोक्त अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर उपरोक्त वर्णित आराजी का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में दर्ज किये जाने का आदेश व

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

निर्णय दिनांक 06.03.2018 पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि उपरोक्त आराजी ठा0 रावल मदन सिंह की निजी सम्पत्ति न होने के कारण व उपरोक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2012 लगायत 2020 में अपीलार्थीगण का नाम बतौर उपकृषक दर्ज रहा है तथा उपरोक्त आराजी से सम्बन्धित नामजद खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 लगायत 2012 व खसरा गिरदावरी सम्वत् 2013 लगायत 2020 मे अपीलार्थीगण बतौर उपकृषिक काश्तकार दर्ज रहे है जिस कारण ठा0 रावल मदनसिंह को उपरोक्त आराजी की वसीयत तहरीर व तकमील करने का कोई कानूनी हक अधिकार नही था जिन बिन्दुओं पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2018 पारित किया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व में नही थी। दिनांक 19.08.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जबरन अपीलान्ट की भूमि पर कुछ भू–माफियों लोगो के साथ आया तथा भूमि को विक्रय करने की वर्तालाप की तो अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि बाबत न्यायालय में प्रकरण जैरकार होने एवं उक्त भूमि अपीलान्ट की होने का कथन किया तो रेस्पोडेन्ट कहा कि मैने अधीनस्थ न्यायालय से उक्त भूमि का फैसला अपने हक में करवा लिया है जिस पर अपीलान्ट ने न्यायालय मे जाकर जानकारी की तथा नकल हेतु दिनांक 20.08.2018 को आवेदन किया जिसकी नकल तैयार होकर दिनांक 23.08.2018 को अपीलान्ट को प्राप्त हुई जिस पर जानकारी की दिनांक से बिना किसी देरी के अन्दर मियाद उक्त अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई है तथा उक्त विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2018 अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें तथा उपरोक्त आदेश की पालना में दर्ज किया गया नामान्तरकरण संख्या 454 दिनांक 15.03.2018 को भी खारिज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि उक्त वादग्रस्त आराजी ठा. रावल मदनसिह के नाम राजस्व भू अभिलेख में दर्ज रिकार्ड जो उनकी खुदकाश्त की भूमि रही है तथा उक्त भूमि को बेचान, रहन, बख्शीश, दान, वसीयत इत्यादि करने का ठा. रावल मदन सिंह को पूर्ण अधिकार कानून प्रदत्त रहे है इसलिये उक्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार ठा. रावल मदनसिंह द्वारा उक्त आराजी की वसीयत दिनांक 15.06.1996 को 10/–रूपये के स्टाम्प पेपर पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम की गई है तथा राजस्थान में वसीयत को रजिस्टर्ड कराना कानूनन आवश्यक नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि ठाकुर रावल मदनसिंह के देहान्त दिनांक 27.09.2001 को हो जाने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त आराजी को स्वयं के नाम दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर आपत्तियॉं मांगी गई

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

एवं प्राप्त आपत्तियों के निरस्तारण पश्चात् एवं वसीयत के गवाहाओं के शपथ पत्र लेने के पश्चात एवं प्रकरण का परीक्षण करने क उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2018 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई तथा उक्त वसीयत को किसी भी न्यायालय द्वारा शून्य या प्रभावशील भी घोषित नही किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया है जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय को समक्ष वादग्रस्त आराजी के खातेदार ठा.रावल मदनसिंह के पुत्रान एवं अन्य पक्षकारान द्वारा अपनी आपत्तियॉ दर्ज करवाई गई है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आपत्तियों का बिना गुणावगुण पर निस्तारण किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2018 पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता।

अतः उपरोक्त विचेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2018 एवं नामान्तरकरण संख्या 454 पर पारित आदेश दिनांक 15.03.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ जिला झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर